राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या 567 / 2015 / अजमेर
श्रीराम आयरन इण्डस्ट्रीज, अजमेर
जरिए दिलीप पारवनी पुत्र श्री आत्माराम जी
निवासी–30 / 45,फायसागर रोड, अजमेर ... प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक
अजमेर प्रथम ...अप्रार्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थितः:
श्री सी.पी.शर्मा
अभिभाषक .....प्रार्थी की ओर से
श्री आर.के. अजमेरा,
उप राजकीय अभिभाषक ....अप्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक :– 09.03.2016

निर्णय

यह निगरानी प्रार्थी द्वारा राजस्थान मुद्रांक अधिनियम,1998 की धारा 65 के अन्तर्गत कलक्टर (मुद्रांक) वृत–अजमेर (जिसे आगे कलक्टर(मुद्रांक) कहा जायेगा) के द्वारा प्रकरण संख्या 331 / 2012 में पारित निर्णय दिनांक 25.06.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी को राजस्थान औद्योगिक विकास विनियोजन कारपोरेशन लिमिटैड(जिसे आगे रीको कहा जायेगा) के द्वारा दिनांक 15.03.2010 को आवंटन पत्र संख्या आर.एम. / ए.जे.एम. / लैण्ड / 7978 के जरिए भूखण्ड नम्बर ए–74 क्षेत्रफल 1000 वर्गमीटर का 99 वर्ष की लीज अजयमेरू औद्योगिक क्षेत्र विलेज पालरा, अजमेर में आवंटित किया गया । लीज डीड का पंजीयन कराते समय, राजस्थान सरकार के द्वारा स्टाम्प ड्यूटी कन्वेन्स चाजेर्ज में 50 प्रतिशत की छूट दिये जाने के कम में राजस्थान जिला उद्योग केन्द्र, अजमेर को इन्वेस्टमेन्ट प्रमोशन पॉलिसी, 2003 की धारा 9 (ए)(।।) के तहत ऐनटाईटलमेन्ट सर्टिफिकेट संख्या 216 बुक संख्या–4 दिनांक 11.05.2010 को प्रार्थी के पक्ष में जारी किया गया, जिसकी एक प्रति अप्रार्थी उप पंजीयक, अजमेर को भी दी गई, क्योंकि प्रश्नगत भूखण्ड उद्योग निर्माण हेतु लिया गया है, जिसे अधिसूचना संख्या एफ.04 (18) / एफडी / टैक्स / डिवीजन / 2001 / 74 दिनांक 28.07.2003 व संशोधित अधिसूचना नम्बर एफ 04 (18) / एफडी / टैक्स / 101 पी.टी. दिनांक 10.10.2008 के तहत प्रार्थी स्टाम्प ड्यूटी का 50 प्रतिशत छूट प्राप्त करने का अधिकारी है। उप पंजीयक ने उक्त अधिसूचना एवं जिला उद्योग केन्द्र, अजमेर जारी पत्र के आधार पर लीज डीड निष्पादित व पंजीयन के समय स्टाम्प शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान करते हुए शेष मुद्रांक शुल्क व पंजीयन शुल्क जमा कराने पर उक्त लीज डीड को पंजीबद्ध करके लौटा दी गई। तत्पश्चात उप पंजीयन द्वारा मुद्रांक अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत कलक्टर

(मुद्रांक) के समक्ष रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है। कलक्टर (मुद्रांक) ने सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए निर्णय दिनांक 26.06.2013 पारित कर रू. 2,28,000/–प्रार्थी से वसूल करने का पारित किया है, जिससे असन्तुष्ट होकर प्रार्थी की ओर से यह निगरानी मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के साथ पेश की गई है।

अप्रार्थी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि प्रार्थी की ओर से निगरानी विलम्ब से प्रस्तुत की गई, इसलिए चलने योग्य नहीं होने से अस्वीकार की जाये ।

प्रार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया कि निगरानी पेश करने में हुए विलम्ब के यथेष्ट एवं क्षमा योग्य कारणों सहित मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर दिया गया है। अतः मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र में उल्लेखित कारणों को पर्याप्त एवं संतोषप्रद मानते हुए प्रार्थी की निगरानी अन्दर मियाद स्वीकार करने का निवेदन किया।

मियान के बिन्दु पर दोनों पक्षों की की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में प्रार्थी द्वारा कलक्टर (मुद्रांक) के निर्णय दिनांक 25.06.2013 के विरूद्व प्रस्तुत निगरानी के साथ पेश किये गये मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र में अंकित कारणों को पर्याप्त एवं सतोषप्रद मानते हुए निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कन्डोन किया जाकर निगरानी अन्दर मियाद स्वीकार की जाती है।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कलक्टर (मुद्रांक) ने विधि के बाध्यकारी व न्याय, नियमों एवं नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के प्रतिकूल जाकर त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया है, जो अस्वीकार योग्य है। उनका कथन है कि हस्तगत प्रकरण में विक्रेता रीको आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद उसे पक्षकार नही बनाकर अविधिक निर्णय पारित किया है,जो न्याय संगत नहीं है। उनका कथन है कि राज्य सरकार द्वारा मुद्रांक शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दिये जाने की अधिसूचना की अनदेखी करते हुए निर्णय दिनांक 25.06.2013 पारित किया गया है। उन्होंने बताया गया कि प्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये ही कलक्टर (मुद्रांक) ने विवादाधीन निर्णय पारित किया है, जो नैसर्गिक न्याय सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत निगरानी स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रार्थी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कलक्टर (मुद्रांक) के विवादाधीन आदेश का समर्थन करते हुए प्रस्तुत निगरानीअस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया । रेकार्ड के अवलोकन से ज्ञात होता है कि रीको द्वारा आद्यौगिक क्षेत्र ग्राम पालरा में 22582.42 वर्गमीटर का भूखण्ड स्टील मैन्यूफैक्यरिंग हेतु इन्वेस्टमेन्ट प्रमोशन पॉलिसी, 2003 के अन्तर्गत खरीदा। उप पंजीयक अजमेर प्रथम ने उक्त दस्तावेज की मालियत रू. 2,05,31,798/–निर्धारित की और उक्त निर्धारित मालियत पर देय मुद्रांक शुल्क का 50 प्रतिशत रू. 5,13,295/–जमा कराने पर उक्त दस्तावेज पंजीबद्ध करके प्रार्थी को लौटा दिया गया । महालेखाकार जांच दल द्वारा अवधि 4.01. से 3.11 में आक्षेप किया गया कि जिला उद्योग केन्द्र/सक्षम अधिकारी द्वारा आयरन एवं स्टील री–रोलिंग मिलों को जिनका उत्पादन आयर री रोलिंग है को भी निवेश नीति 2003 के अन्तर्गत प्रमाण पत्र जारी किया गया है,जो उक्त नीति के तहत अयोग्य ईकाई है। उक्त आक्षेप के आधार पर उप पंजीयक अजमेर प्रथम ने कलक्टर (मुद्रांक) के समक्ष रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया। कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा, अधिसूचना नम्बर एफ 04 (18)/ एफडी/ टैक्स/101 पी.टी. दिनांक 10.10.2008 के पैरा संख्या 15 द्वारा आयरन एण्ड स्टील रिरोलिंग मिल उत्पाद को नकारात्मक सूची दिया गया है इसलिए नियमानुसार उक्त इकाई पर स्टाम्प ड्यूटी में देय मानते हुए महालेखाकार जांच दल द्वारा लगाये गये आक्षेप को न्यायोचित नहीं मानते हुए उप पंजीयक अजमेर प्रथम द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स खारिज कर दिया।

प्रकरण के तथ्यों से ज्ञात होता है कि प्रार्थी द्वारा कलेक्टर (मुद्रांक) के समक्ष आदेश 9 नियम 13 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिस पर उन्होंने प्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा निर्णय दिनांक 25.06.2013 पारित किया है,जिसे न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकता है। कलक्टर (मुद्रांक) को चाहिए था कि वह प्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात निर्णय पारित करते हुए किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया है, जो नैसर्गिक न्याय सिद्धान्तों के विपरीत है। अतः कलक्टर (मुद्रांक) के निर्णय दिनांक 25.06.2013 को अपास्त कर प्रकरण कलक्टर (मुद्रांक) को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वह प्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात इस निर्णय की प्राप्ति के तीन माह के भीतर विधिमान्य आदेश पारित करें।

निर्णय सुनाया गया ।

(सुनील शर्मा)
सदस्य